2022/249

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
1. श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं 62 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.05.2022	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना बरलूट जिला सिरोही के सी. आर. नं. 54 दिनांक 09.04.2022 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का वाहन महिन्द्रा जीप नम्बर आरजे 30 सी 0092 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 19.05.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 09.04.2022 को श्री पारसराम चौधरी उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 08.04.2022 को श्री मीठालाल उपनिरीक्षक मय टीम के साथ गश्त के लिए पुलिस थाना बरलूट से रवाना होकर जावाल बस स्टैण्ड पहुंचे तो खास मुखबिर से सूचना मिली कि एक जीप गाडी नम्बर आरजे 30 सी 0093 में उसका चालक अवैध डीजल व पेट्रोल बेचने हेतु ड्रमों में भरकर पालडी एम से जावाल की तरफ आ रहा है। जिस पर नाकाबन्दी कर उक्त जीप को रूकवाया गया। जीप चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहन जाति राजपूत [illegible] पालडी एम होना बताया। श्री इन्द्रसिंह से [illegible] पांच ड्रमों के बारे में पूछा तो [illegible] होना बताया, जिसे [illegible] चालकों से कम दाम में खरीदकर बाजार भाव से कम दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। मौके पर [illegible] को चैक करने पर जीप में प्लास्टिक के पांच ड्रम रखे हुए थे, जिनमें प्रत्येक ड्रम 200–200 लीटर क्षमता के सभी पेट्रोल से भरे हुए थे। श्री इन्द्रसिंह से उक्त पेट्रोल के अनुज्ञापत्र व बिल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:12:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त पेट्रोल को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ था। अतः भारी मात्रा में अवैध रूप से पेट्रोल को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का स्वामी श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज जिला सिरोही केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन [illegible] चालक द्वारा पेट्रोल की चोरी कर [illegible] हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा [illegible] अधिनियम की धारा 3/7 के तहत [illegible] द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है। एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:12:50 IST
Reason: SelfAttested

Bulla
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना बरलूट के मुकदमा संख्या 54 दिनांक 09.04.2022 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में महिन्द्रा जीप नम्बर आरजे 30 सी 0092 को कब्जे सरकार लिए गए पेट्रोल के साथ कब्जे सरकार लिया गया है । वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना बरलूट के एफ आई आर क्रमांक 54 दिनांक 09.04.2022 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा जीप नम्बर आरजे 30 सी 0092 को प्रार्थी द्वारा पेट्रोल चोरी करते हुए पाए जाने से मौके से उक्त पेट्रोल एवं वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है। वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 08,00,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते है।

आदेश की प्रति [illegible] स्वामी की जांच कर वाहन [illegible] थानाधिकारी पुलिस थाना बरलूट को भिजवाई जावे । प्रार्थ[illegible] पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:12:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner